



प्रेस नोट - दिनांक 01.02.2025

थाना बांगरमऊ, जनपद उन्नाव ।



दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31.01.2025 को थाना बांगरमऊ पर मु0अ0सं0 46/25 धारा 64 भा0दं0वि0 बनाम कमलेश पुत्र हीरा निवासी ग्राम आजमखेडा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 01.02.2025 को निरीक्षक श्री रामनारायण यादव मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कमलेश पुत्र हीरा निवासी ग्राम आजमखेडा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष को नसीरापुर रेलवे अण्डर पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कमलेश पुत्र हीरा निवासी ग्राम आजमखेडा थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 45 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरी0 श्री रामनारायण यादव
2. का0 रमेश साहनी





प्रेस नोट - दिनांक 01.02.2025

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव ।



एक शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार किया गया व साथी बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया तथा टप्पेबाजी से संबन्धित जेवरात बरामद किये गये

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा एक शातिर टप्पेबाज को घटनाओं से संबन्धित जेवरात बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 13.10.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती सुमन जाति लोधी उम्र करीब 35 वर्ष पत्नी नन्हके नि० ग्राम सैदपुर थाना पुरवा जनपद उन्नाव की तहरीरी सूचना बावत दो अज्ञात लड़कों द्वारा वादिनी के साथ धोखाधड़ी एवं झांसा देकर कान के झाले मंगलसूत्र, पायल व 5000/-रु० ले लेने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 0739/24 धारा 318(4)/303(2) BNS बीएनएस पंजीकृत किया गया व दिनांक 31.01.2025 को वादिनी मुकदमा श्रीमती शान्ती पत्नी अमित नि० 100 गिरजावाग थाना कोतवाली सदर उन्नाव की तहरीरी सूचना बावत अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बादिनी व उसकी सहेली सिम्पल पत्नी गोलू नि० उपरोक्त के साथ धोखाधड़ी करते हुये एक जोड़ी सोने का झाला, एक जोड़ी वाली, मंगलसूत्र, सोने का लाकेट, एक सोने की अंगूठी, चांदी की दो अंगूठी, व सिम्पल के 500 रुपये व सोने का झाला, चांदी की अंगूठी, एक मोबाईल फोन छोटा चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 079/2025 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । आज दिनांक 01.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त दीपक परमार पुत्र नारायण परमार नि० राजेपुर उर्फ वाजिदपुर थाना दही जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष को सिन्धुपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण मे लिया गया । अभियुक्त व बाल अपचारी के कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित तीन जोड़ी झाला पीली धातु, एक जोड़ी पायल सफेद धातु, दो अदद मोती की माला मय लाकेट पीली धातु, एक अदद बाली पीली धातु, तीन अदद अंगूठी सफेद धातु, एक अदद मंगलसूत्र मय लाकेट पीली धातु, एक अदद अंगूठी पीली धातु बरामद किया गया । पूछताछ में अभियुक्त दीपक परमार व बाल अपचारी ने बताया कि उक्त घटनाओं के अलावा हम लोगो द्वारा शहर में करीब 10 स्थानों पर और टप्पेबाजी की घटना की गयी है । हम लोग महिलाओं को निशाना बनाते हैं और उन्हे

अपनी बातों में लेकर उनसे जेवरात व पैसे लालच/गुमराह कर लेते हैं। अभियुक्त दीपक परमार व बाल अपचारी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

दीपक परमार पुत्र नारायण परमार नि० राजेपुर उर्फ वाजिदपुर थाना दही जनपद उन्नाव उम्र करीब 20 वर्ष

एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

बरामदगी:-

तीन जोड़ी झाला पीली धातु ,एक जोड़ी पायल सफेद धातु,दो अदद मोती की माला मय लाकेट पीली धातु ,एक अदद बाली पीली धातु ,तीन अदद अंगूठी सफेद धातु,एक अदद मंगलसूत्र मय लाकेट पीली धातु ,एक अदद अंगूठी पीली धातु

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-- निरी० अपराध राजेश यादव थाना कोतवाली उन्नाव
- 2-- उ०नि० दीपक सिंह पटेल चौकी प्रभारी सदर
- 3--उ०नि० श्री राजेश कुमार दीक्षित चौकी प्रभारी किला
- 4—हे०का० भालचन्द्र,
- 5---हे०का० प्रभाकर राय,
- 6---हे०का० भैयालाल,
- 7---हे०का० शादाब खान,
- 8---का० अंकुर कुमार,
- 9---का० राजेश कुमार

